

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 59 सन 2026

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. काशीराम पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

3. गीता पुत्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

4. नाथी पुत्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

5. प्रताप पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

6. बनवारी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7. सरबती पुत्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 09/06/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 के प0न0 115/60(40) के किला न0 6/0.2530 ,7/0.253 ,8/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530,15/0.2530, 16/0.2530, 17/0.2530 ,18/0.2530 कुल किता न0 9 की 2.2770हैक् व प0न0 135/4(39) के किला न0 5/0.1640, 6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530, 11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/0.2530 ,कुल किता 15 की 3.7060हैक् व प0न0 135/12(38) के किला न0 10/0.0630 ,11/0.2150 ,कुल किता 2 की 0.2780हैक् कुल किता 26 की 6.210हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज है जो भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजो की पैदा करदा /नोतोड करदा भूमि थी।

रोही मौजा बिरकाली के साबिका खसरा न0 218 की 24.18 बीधा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त की भूमि है तथा भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा खसरा परिवर्तन के द्वारा पर्चा खतौन जारी करते समय खसरा न0 से प0न0 किला न0 में परिवर्तन करते समय रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 218 की 24.18 बीधा के रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 के प0न0 115/60 (40) के किला न0 6 ता 8 ,13 ता 18/2.2770हैक् व प0न0 135/4(39) के किला न0 5 ता 15, 17 ता 20 /3.7060हैक् व प0न0 135/12(38) के किला न0 10 ,11/0.2780हैक् कुल 6.2610हैक् मे परिवर्तन पैमुद किये गये है जो पर्चा खतोनी से पूर्णत्या साबित है।

वादी के पूर्वज सहीराम पुत्र लादूराम की मृत्यू हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज व अपने कब्जा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्त व हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610हैक् भूमि को अराजीकाश्त बाद का दर्ज कर रखा है जो गलत है वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम की सम्मत 2012 से पूर्व की नातोड करदा भूमि है इसलिये राजस्व रिकार्ड में भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहवन से अराजीकाश्त बाद का दर्ज हो गया है जबकि वाद भूमि अराजीकाश्त पूर्व की है अर्थात् सम्मत 2012 से पूर्व की नातोड करदा भूमि है जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी है

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610हैक् भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त में थी जिसके देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है एव कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी अपने पूर्वजों के द्वारा नातोड करदा भूमि है जो वर्तमान में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एए (3)(2क) व आरटीएक्ट द्वितीय संशोधन एव राजस्थान सरकार के राजस्व गुप- 6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5 (3)राज/4180/6/17 जयपुर दिनांक 28.12.2017 की शर्तों की पूर्णरूप से पालना करते है।

वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम की सम्मत 2012 से पूर्व की नातोड करदा भूमि है जा पूर्व में वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त में रही थी एवं वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के द्वारा सम्मत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने पूर्वज के द्वारा सम्मत 2012 से पूर्व नातोड की गई भूमि जो वादी के पूर्वज सहीराम के देहान्त होने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के द्वारा रोही मौजा बिरकाली बारानी की वाद भूमि सम्मत 2012 से पूर्व की नातोड करदा कब्जा काश्त की भूमि थी जो पूर्व में वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त में रही थी वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एए के तहत स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु आदिनांक तक गैरखातेदार दर्ज कर रखा है वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के समय से सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त में वाद भूमि थी इसलिये वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के नाम उसी समय निशुल्क खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु आज तक वादग्रस्त भूमि खातेदारी दर्ज नहीं की गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हकों की घोषणा करवा कर वाद भूमि बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610हैक् भूमि में वादी तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 प्रत्येक को

Zehul
उपखण्ड अधिकारी
बोहर

1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का अनुतोष वादी में निहित होने के कारण तलबी नहीं किया गया /तर्क किया गया जिसके कारण तलबी नहीं की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट पेश की वाद भूमि आ.का.बाद का गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है वाद भूमि सहीराम वल्द लादूराम के वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के नाम से दर्ज हे किसी प्रकार का विवाद नहीं है ना ही किसी राजकीय कार्य हेत आरक्षित है वाद भूमि का मिलान पर सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है विशेष आवंटन की श्रेणी में नहीं है किसी प्रकार का प्रभार बकाया नहीं है गणपतराम के वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है वर्तमान में वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। परोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नहीं की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 के प0न0 115/60(40) के किला न0 6/0.2530 ,7/0.253 ,8/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530,15/0.2530, 16/0.2530, 17/0.2530 ,18/0.2530 कुल किला न0 9 की 2.2770हैक् व प0न0 135/4(39) के किला न0 5/0.1640, 6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530, 11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/0.2530 ,कुल किला 15 की 3.7060हैक् व प0न0 135/12(38) के किला न0 10/0.0630 ,11/0.2150 ,कुल किला 2 की 0.2780हैक् कुल किला 26 की 6.210हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज है जो भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पैदा करदा /नोटोड करदा भूमि थी।

रोही मौजा बिरकाली के साबिका खसरा न0 218 की 24.18 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त की भूमि है तथा भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा खसरा परिवर्तन के द्वारा पर्चा खतौन जारी करते समय खसरा न0 से प0न0 किला न0 में परिवर्तन करते समय रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 218 की 24.18 बीघा के रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 के प0न0 115/60 (40) के किला न0 6 ता 8 ,13 ता 18/2.2770हैक् व प0न0 135/4(39) के किला न0 5 ता 15, 17 ता 20 /3.7060हैक् व प0न0 135/12(38) के किला न0 10 ,11/0.2780हैक् कुल 6.2610हैक् में परिवर्तन पैमुद किये गये है जो पर्चा खतौनी से पूर्णतया साबित है।

वादी के पूर्वज सहीराम पुत्र लादूराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज व अपने कब्जा काश्त व हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610हैक् भूमि को अराजीकाश्त बाद का दर्ज कर रखा है जो गलत है वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम की सम्वत 2012 से पूर्व की नातोड करदा भूमि है इसलिये राजस्व रिकार्ड में भू0प्रबन्ध


उपजण्ड अधिकारी
बोहर

कार्यवाही के दौरान सहवन से अराजीकाशत बाद का दर्ज हो गया है जबकि वाद भूमि अराजीकाशत पूर्व की है अर्थात सम्वत 2012 से पूर्व की नोटोड करदा भूमि है जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी है

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610हैक् भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काशत में थी जिसके देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है एव कब्जा काशत में चली आ रही है।

वादी अपने पूर्वजों के द्वारा नोटोड करदा भूमि है जो वर्तमान में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काशत में चली आ रही है राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए (3)(2क) व आरटीएक्ट द्वितीय संशोधन एव राजस्थान सरकार के राजस्व गुप- 6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5 (3)राज/4180/6/17 जयपुर दिनांक 28.12.2017 की शर्तों की पूर्णरूप से पालना करते है।

वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम की सम्वत 2012 से पूर्व की नोटोड करदा भूमि है जा पूर्व में वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काशत में रही थी एवं वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काशत में चली आ रही है

वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काशत की भूमि है जिसके वे खातेदार काशतकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने पूर्वज के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व नोटोड की गई भूमि जो वादी के पूर्वज सहीराम के देहान्त होने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काशत की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है को बतौर खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610हैक् भूमि में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बहिब प्रत्येक 1/7 - 1/7 हिस्सा के खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की 6.2610हैक् की भूमि जो वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम पर्चा खतौनी एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अराजीकाशत बाद की दर्ज है वर्तमान में रोही मौजा बिरकाली की भूमिया उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काशतकार टिनेन्सी एव एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 218 की कुल 24.18 बीघा भूमि सहीराम वल्द लादूराम जाति मेधवाल के नाम से दर्ज है अर्थात सहीराम वल्द लादूराम के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की नोटोड करदा भूमि है जो प्रस्तुत जमाबन्दी/गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 से पूर्णत्या साबित है।

सहीराम वल्द लादूराम का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जिसके वाद भूमि कब्जा काशत में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम अराजीकाशत बाद की दर्ज है उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नहीं किया गया है।


उपसमष्ट अधिकारी
नोहर

वाद भूमि सहीराम वल्द लादूराम सम्वत 2012 से पूर्व की नोटोड करदा भूमि है जो प्रस्तुत गिरदावारीयो / जमाबन्दी से साबित है उक्त नोटोड करदा भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो पटवारी हल्का / तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में परोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

भूप्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न० 218 की 24.18 बीघा भूमि को हाल रोही मौजा बिरकाली बारानी के प०न० 115/60(40) के किला न० 6/0.2530, 7/0.253, 8/0.2530, 13/0.2530, 14/0.2530, 15/0.2530, 16/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530 कुल कित्ता न० 9 की 2.2770 हैक् व प०न० 135/4(39) के किला न० 5/0.1640, 6/0.2530, 7/0.2530, 8/0.2530, 9/0.2530, 10/0.2530, 11/0.2530, 12/0.2530, 13/0.2530, 14/0.2530, 15/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530, 19/0.2530, 20/0.2530, कुल कित्ता 15 की 3.7060 हैक् व प०न० 135/12(38) के किला न० 10/0.0630, 11/0.2150, कुल कित्ता 2 की 0.2780 हैक् कुल कित्ता 26 की 6.210 हैक् में परिवर्तन/पैमुद किये गये हैं जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल / पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है।

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा बिरकाली के हाल रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 के प०न० 115/60 (40) के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18/2.2770 हैक् व प०न० 135/4(39) के किला न० 5 ता 15, 17 ता 20 /3.7060 हैक् व प०न० 135/12(38) के किला न० 10, 11/0.2780 हैक् कुल 6.2610 हैक् भूमि जो वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में है किसी प्रकार का विवाद स्थगन नहीं है नगर पालिका पेराफेरी में नहीं है किसी प्रकार का प्रभार बकाया नहीं है तथा मौका पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के द्वारा काश्त की जा रही है।

वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम को रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न० 218 की 24.18 बीघा भूमि सम्वत 2012 से कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वर्तमान रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 के प०न० 115/60 (40) के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18/2.2770 हैक् व प०न० 135/4(39) के किला न० 5 ता 15, 17 ता 20 /3.7060 हैक् व प०न० 135/12(38) के किला न० 10, 11/0.2780 हैक् कुल 6.2610 हैक् में पैमुद की गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी 2 ता 7 के नाम से गैरखातेदारी दर्ज एवं वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न० 218 की 24.18 बीघा भूमि सम्वत 2012 से लगातार आदिनांक तक पहले वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के कब्जा काश्त में रही तथा अब वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो / गिरदावारीयो एव पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया।

वाद भूमि सहीराम वल्द लादूराम के नाम जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में नाम दर्ज हे अर्थात् वादी के पिता सहीराम वल्द लादूराम के द्वारा भूमि नोटोड करदा है जो सम्वत 2012 से 2015 का काश्तकार है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है पर्चा खतोनी तैयारी के सम्बन्ध आराजी काश्त पूर्व के स्थान पर आराजीकाश्त बाद का दर्ज किया गया है जिसे संशोधन किया जा सकता है सहवन हुई गलती से वादी के हक प्रभावित नहीं होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवाने का अधिकारी है

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सहीराम वल्द लादूराम के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त में थी अर्थात् सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो / गिरदावरीयो से साबित है

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नहीं किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान में रोही मौजा बिरकाली बारानी की भूमिया उपनिवेशन क्षेत्र धोषित/शामिल हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र / अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारों के लिए अनु० जाति अनु० जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
बोहर

temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवंटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आवंटियों को अस्थायी खेती पट्टा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

उपनिवेशन विभाग द्वारा क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट-II दिनांक 25.07.2017 को जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ को एक पत्र लिया गया है जिसका सार है कि गांव बिरकाली वर्ष 2000 में आई.जी.एन.पी. से भाखड़ा में आने से प्रभावित काश्तकारों के प्रकरणों के सन्दर्भ में 22.07.1998 व 19.05.2010 के परिपत्रों को लागू मानते हुए कार्यवाही करनी चाहिए

वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम जाति मेधवाल (जो अनुसूचित जाति का सदस्य है) को रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 218 की 24.18 बीघा हाल रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 के प0न0 115/60 (40) के किला न0 6 ता 8 ,13 ता 18/2.2770हैक व प0न0 135/4(39) के किला न0 5 ता 15, 17 ता 20 /3.7060हैक व प0न0 135/12(38) के किला न0 10 ,11/0.2780हैक कुल 6.2610हैक हैक भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात् सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी /गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है अर्थात् वादी के पूर्वज के सहीराम वल्द लादूराम के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त में होने के कारण वादी के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नहीं करने से वादी के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं बल्कि वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
बोहर

क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

वादी ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये


उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसूचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम वल्द लादूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है तथा सहीराम वल्द लादूराम का देहान्त हो चुका हे जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है अर्थात वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादीगण राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचनाओं के परिपेक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610हैक् भूमि जो वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/- प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 400/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 प्रत्येक को 1/7 -1/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2 काशीराम पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।

3 गीता पुत्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

4 नाथी पुत्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

5 प्रताप पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

6 बनवारी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7 सरबती पुत्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 59 सन 2026 निर्णय दिनांक - 09/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता

वादी एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 671/557 की कुल 6.2610 हैक्ठु भूमि जो वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/- प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 400/- प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 प्रत्येक को 1/7 -1/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)